

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021 — फाल्गुन 18, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-17/2021/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा, जिला-दुर्ग हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है:—

अनुसूची

क्रं.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति	5	दादर-पर्थरा वार्ड
		35	जी०केबिन पी०पी०यार्ड चरोदा वार्ड
		33	देवबलौदा सागर पारा वार्ड
		40	गनियारी वार्ड
2	अनुसूचित जाति (महिला)	31	देवबलौदा शिव मंदिर वार्ड
		34	जी.केबिन चरोदा वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति	12	डबरापारा वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	14	नेहरू नगर वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	महामाया पारा वार्ड
		11	विद्युत मंडल कालोनी वार्ड
		15	बंजरंग पारा वार्ड

		18	वसुंधरा नगर वार्ड
		19	पदुम नगर वार्ड
		24	शिक्षित नगर वार्ड
		39	मोरिद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	इंदिरा नगर हथखोज वार्ड
		16	बाजार वार्ड
		22	चरोदा भाटा पारा वार्ड
7	अनारक्षित (महिला)	3	अकलोरडीह वार्ड
		6	उमदा वार्ड
		9	शीतला पारा वार्ड
		13	गांधी नगर वार्ड
		20	पंचशील नगर वेस्ट वार्ड
		28	जोन-2 चरोदा वार्ड
		36	सिरसाकला बस्ती वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-17/2021/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-17/2021/18 दिनांक 06-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 6th March 2021

NOTIFICATION

No. F 1-17/2021/18.— In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) the state Government hereby notify the list of reserve wards of Municipal Corporation Bhilai-Charoda, Distt- Durg as per the schedule given below.

SCHEDULE

S. No.	Category (For Which Reserve)	Ward No.	Name of Wards
1	Scheduled Caste	5	DADAR-PATHARA WARD
		35	G CABIN P.P.YARD CHARODA WARD
		33	DEVBALODA SAGAR PARA WARD
		40	GANIYARI WARD

2	Scheduled Caste (Female)	31	DEVBALODA SHIV MANDIR WARD
		34	G CABIN CHARODA WARD
3	Scheduled Tribes	12	DABARAPARA WARD
4	Scheduled Tribes (Female)	14	NEHRU NAGAR WARD
5	Other Backward Class	8	MAHAMAYA PARA WARD
		11	VIDHUT MANDAL CALONI WARD
		15	BAJRANG PARA WARD
		18	VASUNDHARA NAGAR WARD
		19	PADUM NAGAR WARD
		24	SHIKSHIT NAGAR WARD
		39	MORID WARD
6	Other Backward Class (Female)	1	INDIRA NAGAR HATHKHOJ WARD
		16	BAJAR WARD
		22	CHARODA BHATHA PARA WARD
7	Unreserved (Female)	3	AKLORDIH WARD
		6	UMDA WARD
		9	SHITLA PARA WARD
		13	GANDHI NAGAR WARD
		20	PANCHSHEEL NAGAR WEST WARD
		28	ZONE-2 CHARODA WARD
		36	SIRSAKALA BASTI WARD

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.